न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कौशाम्बी

परिवाद संख्या–1788/2019

मोसमा बानों बनाम इश्तिकार अली आदि

01.10.2019

पत्रावली आज तलबी के बिन्दु पर आदेशार्थ नियत है। विगत तिथि पर परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता को सुना जा चुका है।

पत्रावली का परिशीलन किया।

परिवादिनी द्वारा अपने परिवाद पत्र में कथन किया गया है कि विपक्षीगण इस्तिकार, मुर्तुजा, सितारा, सगीना व सलमान द्वारा परिवादिनी मोसमा बानों को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया, गाली गलौज की गयी एवं अतिरिक्त दहेज की मांग की गयी। परिवादिनी ने अपने कथनों के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।

परिवादिनी ने अपने कथनों के समर्थन में धारा–200 दं0प्र0सं0 में स्वंय का एवं धारा 202 दं0प्र0सं0 में पी0डब्लू0–1 जगरूप सरोज एवं पी.डब्लू.–2 गफ्ार अली का बयान अंकित कराया है। उक्त साक्षीगण ने परिवादिनी के कथनों का समर्थन किया है।

प्रस्तुत मामले में परिवादिनी द्वारा दाखिल मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर विपक्षीगण इस्तिकार, मुर्तुजा, सितारा, सगीना व सलमान को धारा–498ए, 323,506 भा0दं0सं0 व धारा–3/4 डी.पी. एक्ट के अन्तर्गत विचारण हेतु तलब किये जाने का आधार पर्याप्त है। तद्नुसार अभियुक्तगण ⊁ इस्तिकार, मुर्तुजा, सितारा, सगीना व सलमान धारा–498ए, 323, 506 भा0दं0सं0 व धारा–3/4 डी.पी. एक्ट के अन्तर्गत विचारण हेतु तलब किये जाने योग्य हैं।

आदेश

अभियुक्तगण इस्तिकार, मुर्तुजा, सितारा, सगीना व सलमान को धारा 498ए, 323, 506 भा0दं0सं0 व धारा–3/4 डी.पी. एक्ट के अधीन विचारण हेतु तलब किया जाता है। धारा 204 दं0प्र0सं0 का अनुपालन करने के पश्चात अभियुक्तगण को समन जारी हो।

पत्रावली अभियुक्त की उपस्थिति हेतु दि0 01.11.2019 को पेश हो।

(कुलदीप सिंह–III)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कौशाम्बी।